

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक 5747002

पटना, दिनांक 05/01/2026

ग्रा0वि0-6-बजट/05-02/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM/Aajeevika योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद में द्वितीय किस्त प्रथम भाग के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 42214.69 लाख (चार अरब बाइस करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से चलाई जा रही है ।

2. बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2021-22 तक NRLM (एन0आर0एल0एम0) केन्द्र प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन State Perspective and Implementation Plan (SPIP) के अनुरूप किया गया है । वित्तीय वर्ष- 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का व्यय सहायक अनुदान मद में ही निर्धारित है । स्कीम पर होने वाले व्यय भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2015 से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जाता है । ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-J-11014/01/2020-RL (FMS-371340) दिनांक-31.03.2022 द्वारा "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" (DAY-NRLM) को मार्च,2021 से मार्च,2026 तक कतिपय संशोधन सहित जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-1264453 दिनांक-26.09.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश एवं समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" (DAY-NRLM) के क्रियान्वयन को जारी रखने एवं कुल संभावित व्यय रू0 15326.68 करोड़ (पन्द्रह हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ अड़सठ लाख) की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत निम्न राशि की विमुक्ति की गयी है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	स्वीकृत्यादेश सं0 एवं दिनांक	घटक	केन्द्रांश मद
1	पत्रांक-J-12014/01/2025-RL (NRLM_31A) दिनांक-23.01.2026	सामान्य	34388.09
2	पत्रांक-J-12014/01/2025-RL (NRLM_31B) दिनांक-23.01.2026	अनुसूचित जाति	7151.17

3	पत्रांक-J-12014/01/2025-RL (NRLM_31C) दिनांक-23.01.2026	अनुसूचित जनजाति	675.43
		कुल-	42214.69 लाख (चार अरब बाइस करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार)

4. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NRLM (एन0आर0एल0एम0) अन्तर्गत केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

केन्द्रांश

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश (राशि लाख ₹0 में)
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 04- वेतन (सामान्य मद)	2063.29
2	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	32324.80
3	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 04- वेतन (अनुसूचित जाति मद)	429.07
4	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जाति मद)	6722.10

5	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067960202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 04- वेतन (अनुसूचित जनजाति मद)	40.53
6	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067960202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जनजाति मद)	634.90
कुल :-		42214.69 लाख (चार अरब बाईस करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार)

5. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

(ii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर NRLM योजना के State Nodal Account (SNA) Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-NRLM, State Bank of India, Account No.-38086215518, IFSC Code- SBIN0018815, Niyojan Bhawan, Patna, Bihar में जमा कर देंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध करारेंगे।


6. वित्त विभागीय पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में बजट प्रावधानित राशि का व्यय हेतु चौमाही प्रतिशत बंधेज को पूर्ण रूप से शिथिल किया गया है, अर्थात् 100 प्रतिशत बजट प्रावधानित राशि का नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-ग्रा0वि0/06-बजट/05-02/2025 के पृष्ठ-22-----/टि0 पर दिनांक-29/01/2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं०-ग्रा०वि०/०६-बजट/०५-०२/२०२५ के पृष्ठ-२३-/-टि० पर दिनांक-०२/०२/२०२६ को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(रवि कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5147002

पटना,

दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5147002

पटना,

दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि- डॉ० मौलिश्री, निदेशक (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई०टी०मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5147002

पटना,

दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव